IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–अयोध्या–03
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
भवन संख्याः–1813 से 1816 भरतपुरी योजना, गोण्डा
दूरभाष सं0–05262–223169
E-Mail- cugonda@upavp.com / upavpgonda@gmail.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700
SQMS

पत्रांकः–   /   / दिनांक......................

सेवा में,

श्री / श्रीमती ....,
पुत्र / पुत्री / पत्नी ....,
निवासी ....,
....

विषयः– **परिषद की बहराइच भिनगा मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, बहराइच में विभिन्न प्रकार के आवासीय भूखण्ड संख्या .... के आवंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय / महोदया,

आपके पंजीकरण संख्या .... के विरूद्ध दिनांक .... को लाटरी द्वारा परिषद की लोहरामऊ मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, सुल्तानपुर में विभिन्न प्रकार के आवासीय भूखण्ड संख्या .... किश्त / नकद क्रय पद्धति पर परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन आवंटित किया गया, अतः उक्त भवन का प्रदेशन पत्र आपके पक्ष में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किया जाता है, जिसका विवरण निम्नवत है :–

1.	भूखण्ड का क्षेत्रफल .... वर्ग मी0	
(क).	भूखण्ड का मूल्य (रू0...................... प्रति वर्ग मी0)	रू0
(ख).	भवन निर्माण लागत	रू0
(ग).	भूखण्ड सहित भवन का कुल मूल्य (अनुमानित)	रू0
(घ).	कार्नर हेतु .... अतिरिक्त मूल्य	रू0
	योग :–	
2.	जमा पंजीकरण धनराशि	रू0
(क).	अपेक्षित शेष पंजीकरण धनराशि	रू0
3.	नकद क्रय पद्धति पर भुगतान योग्य धनराशि (1–2)	रू0
4.	प्रथम किश्त के साथ एकमुश्त 40% देय धनराशि	रू0
5.	रू0 100.00 के गुणांक में	रू0
6.	अवशेष धराशि .... पर @11.50%	रू0
7.	दिनांक .... तक जमा योग्य कुल धनराशि (4 + 5 + 6)	रू0
	विविध शल्क :–	
(क).	विलेख निष्पादन व्यय	रू0
(ख).	साइट प्लान शुल्क	रू0
(ग).	विज्ञापन व्यय 0.25%	रू0
8.	दिनांक / / तक जमा योग्य कुल धनराशि	रू0

9. किसी भी देय धनराशि का विलम्ब से भुगतान करने पर 13.5% की दर से अतिरिक्त ब्याज देय होगा।
10. उपरोक्त विवरण के बिन्दु सं0 07 में अंकित धनराशि .... में परिषद के वसूली खाता सं0 .... तथा बिन्दु सं0 8 में अंकित धनराशि विविध खाता सं0 .... में दिनांक .... तक जमा करनी होगी। दिनांक .... के बाद जमा धनराशि पर ब्याज की गणना दिनांक .... से की जायेगी। धनराशि जमा न करने पर आवंटी को 15–15 दिन पर 02 नोटिस देने के बाद भी यदि धनराशि जमा नहीं होती है, तो परिषद द्वारा नियमानुसार आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
11. जी0एस0टी0 की देयता होने पर जी0एस0टी0 का भुगतान अतिरिक्त देय होगा।
12. भवन के मूल्य का पूर्ण भुगतान दिनांक .... तक करने पर 5% की छूट देय होगी।
13. जल / सीवर संयोजन तथा नियमित जल शुल्क के सम्बन्ध में जो धनराशि परिषद द्वारा निर्धारित की जायेगी। उसका भुकतान करना होगा।

क्रमशः.....2 / –

14. विलेख/अनुबन्ध निष्पादन हेतु स्टैम्प शुल्क नगर निगम/सरकार या अन्य किसी अधिकारी द्वारा लगाये गये समस्त करों का वहन प्रदेशन ग्रहीता को करना होगा।
15. प्रदेशन पत्र ग्रहीता को प्रदेशन पत्र में उल्लिखित धनराशि/औपचारिकताओं की पूर्ति निर्धारित अवधि तक पूर्ण करनी होगी। भवन का निरस्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अथवा अदेयता पर प्रदेशन निरस्त होता है तो पंजीकरण धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि जब्त करते हुए नियमानुसार निरस्त किया जायेगा।
16. भवन का कब्जा प्राप्त करने हेतु देय धनराशि तथा निम्नलिखित प्रपत्र दिनांक .... तक इस कार्यालय में अवश्य जमा कर दें, अन्यथा रू0 50/– प्रति दिन की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।

नोट :–

6. आवंटी द्वारा स्वयं की दो प्रमाणित फोटो व हस्ताक्षर सहित हो किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित हो तथा प्रमाणित कर्ता द्वारा प्रदेशन ग्रहीता का नाम पिता/पति का नाम व पता प्रमाणित कर्ता द्वारा स्वयं की हस्तलिपि में हो तथा चार फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज बिना प्रमाणित।
7. बैंक में जमा धनराशि की चालान की प्रति।
8. रू0 10/– के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नगर मजिस्ट्रेट/नोटरी से प्रमाणित शपथ–पत्र।
9. रू0 100/– का नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर।
10. अनुबन्ध/विलेख निष्पादन हेतु शासनादेशानुसार स्टाम्प पेपर देय होगा जो शासन द्वारा समय–समय पर परिवर्तनीय है, स्टैम्प पेपर दिनांक .... तक कार्यालय में जमा करना होगा।

भवदीय

(अभिषेक वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता

शपथ पत्र का प्रारूप

समक्ष सम्पत्ति प्रबन्धक
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अयोध्या

मैं (नाम) .... पुत्र/पुत्री .... उम्र .... निवासी निम्न प्रकार शपथ पूर्वक कहता हूँ।

1. मेरे/मेरी पत्नी/पति अथवा अवयस्क बच्चों के नाम कोई फ्लैट/भूखण्ड/भवन पूर्णतः या अंशतः सुल्तानपुर नगर में नहीं है और उ0प्र0 के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है।
2. मेरी/मेरे पत्नी/पति अथवा अवयस्क बच्चों के नाम नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम–1976 में निर्धारित सम्पत्ति से अधिक नहीं है और न होगी।
3. मैं तथा मेरी/मेरे पत्नी/पति एवं अवयस्क बच्चों द्वारा उ0प्र0 नगरीय सीमा में केवल एक फ्लैट/भवन/भूखण्ड के प्रदेशन हेतु आवेदन करता/करती है।
4. मेरी समस्त श्रोतों से रजिस्ट्रेशन से पूर्व वित्तीय वर्ष .... की वार्षिक आय जिसमें मेरे/मेरी पत्नी/पति या अन्य आश्रित सम्बन्धी एवं अवयस्क बच्चे भी सम्मिलित है, कुल रू0 .... से अधिक नहीं थी।

मैं (नाम) .... घोषण करता/करती हूँ कि उपर्युक्त अनुच्छेद–1 से 4 तक वर्णित तथ्य मेरी जानकारी में सही है और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

स्थान :
दिनांक :

प्रमाणित
मजिस्ट्रेट/सब जज/नोटरी

शपथी

दिनांक :